न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 119/2017

उनवान

रोहित धवन पुत्र पुथ्वीनाथ धवन जाति हिन्दु खत्री, नि0 27/24 शक्ति नगर दिल्ली – 7
—– वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. अशोक सैनी पुत्र छोटूलाल सैनी जाति माली नि0 926 राजनारायण रोड, नसीराबाद
2. साना ना.बा. पुत्री भंवरलाल, जरियें संरक्षक माता जन्नत पत्नी भंवरलाल जाति गुर्जर नि0 दिलवाडी, नसीराबाद **(तर्क)**
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—– प्रतिवादीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री धमेन्द्र जैन
3 जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 15-04-24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी की निम्न आाजी वादी की कयशुदा खातेदारी काश्तकारी की है जिसका विववरण निम्न प्रकार है :–

खाता न0	हाल ख.न.	रकबा	खाता न0	वंर्किग ख.न.	रकबा
5/7	967	0.4640 में से 0.34 रकबा कय किया	44/44	806	0.50

उक्त आराजी वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से खसरा नम्बर 967 रकबा 0.4640 में से 0.34 रकबा कय किया था। कय के पश्चात साना प्रतिवादी संख्या 2 का नाम बिना कोई हिस्सा डाले ही दर्ज कर दिया गया। उक्त विकय पत्र दिनांक 18.10.2010 को निष्पादन होने के बाद नियमानुसार वादी के नाम दर्ज करना चाहिये था। किन्तु राजस्व अभिलेख में वादी के नाम नामान्तकरण दर्ज नही हुआ है। अतः आराजी मुतनाजा का नामान्तकरण वादी के नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवदी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 का नाम तर्क किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रकरण में राजीनामा पेश कर वाद डिकी करने हेतु निवेदन किया।
राज0 पैराकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरियें पंजीकृत विकय पत्र हाल खसरा नम्बर 967 रकबा 0.4640 में से 0.34 का बैचान वादी को किया था। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से विशिष्ठ भू भाग कय किया है। आराजी मुतनाजा अविभाजित होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 आराजी मुतनाजा में से अपना हिस्सा बैचान कर सकता था जबकि उसके द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से अविभाजित आराजी में से रकबा विकय कर दिया जिस कारण उक्त विकय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में नही हो पायी है। प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम सहखातेदारी में दर्ज होने के कारण वह हितबद्व पक्षकार है इसके बावजूद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 का नाम तर्क कर दिया है ऐसी स्थिति में अविभाजित आराजी में से वादी ने कौन सा हिस्सा कय किया है यह तय नही किया जा सकता है। वादी का कथन है कि उसके द्वारा 0.4640 में से 0.34 रकबा कय किया है। साथ ही राजीनामा में 0.4640 में से 0.4340 रकबा वाणिज्यक रूपान्तरण होने का अंकन किया है। वादी ने उक्त रूपान्तरण के दस्तावेज भी पत्रावली में पेश नही किये है। वादी ने मात्र खातेदारी उद्घोषणा चाही है। किन्तु विभाजन के बिना सह खातेदारी आराजी में विशिष्ट भू भाग के विकय पत्र के आधार पर खातेदारी दिया जाना न्यायोचित नही है। प्रकरण में सह खातेदार का नाम भी तर्क कर दिया है।

अतः ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 967 पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिकी व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भैरू बनाम किशन

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 119/2017
पेश करने की दिनांक – 04.09.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुद्दई अभिभाषक धमेन्द्र जैन व राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 967 पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15 माह 05 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद